न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2835 सन् 2026**,
कल्पना पुत्री सोमेन्द्र सिंह, पत्नी अमृतलाल, निवासी ग्राम शिवनगर कालौनी, थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर हाल पता रावत पुरवा चठिया धनबाद, थाना शाहबाद, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश।

.....आवेदिका–अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः– 451 सन् 2026
धाराः– 85, 80(2) बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थानाः– सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर।

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष हैं तथा वाद उपरोक्त में उसे रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है उसने कोई अपराध किसी प्रकार का नही किया है उपरोक्त वाद में कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। आवेदिका/अभियुक्ता ननद है और करीब चार वर्ष पहले उसकी शादी हो चुकी है और उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त दहेज की मांग नही की गयी है और ना ही अतिरिक्त दहेज की खातिर किसी प्रकार की कोई घटना कारित की है। आवेदिका/अभियुक्ता घटना स्थल से करीब 250 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देरी से करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

04. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हरिश्चन्द द्वारा थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी कि वादी की पुत्री अनीता का विवाह वर्ष 2023 में आलोक के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात् वादी की पुत्री अनीता अपने पति आलोक, सास श्रीमती मंजू, ससुर सुमेन्द्र, ननद कल्पना के साथ शिव कालौनी, सिकन्द्राबाद में निवास कर रही थी एवं अनीता के पति गुडलक फैक्ट्री सिकन्द्राबाद में नौकरी करते है। उक्त अनीता का एक बेटा सार्थक उम्र 18 माह भी है। वादी की पुत्री जब भी अपने पीहर आती थी या वह पीहरजनों में से कोई उनके घर आता था तो अनीता बताती थी कि उसके ससुरालजन दहेज के तौर पर तीन लाख रूपये की मांग करते थे और परेशान, मारपीट करते थे। दिनाँक 13.05.2026 को उसे फोन पर सूचना मिली की उसकी पुत्री अनीता की तबीयत खराब है। वादी अनीता के घर पहुँचा तो पाया कि अनीता की मृत्यु हो चुकी है और वादी को बताया गया कि अनीता ने फांसी लगाई है जब कि वादी को ज्ञात हुआ कि अनीता को उसके ससुरालजनों ने जान से मारा है, क्योंकि वादी द्वारा अनीता की शादी में दहेज व बाईक दी गयी थी और अनीता के ससुरालजनों की दहेज की मांग कभी खत्म नही हुई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा प्राथमिकी मे वर्णित तथ्यों पर बल देते हुये जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध करते हुये कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मॉग की जाती थी और इसी

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 16:48:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मॉग के अग्रसरण में मृतका की विवाह के सात वर्ष के अन्दर दहेज हत्या कारित कर दी गयी। आवेदक/ अभियुक्त की अपराध में सक्रिय भूमिका है। आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पादित किए जाने तथा साक्ष्य संकलन तथा हेतु अभियुक्ता को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जानी आवश्यक है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/ अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर मृतका के साथ मारपीट की जाती थी तथा बाद में उक्त मॉग के लिये मारपीट कर मृतका की विवाह के सात वर्ष के अन्दर दहेज हत्या कारित कर दी गयी।

08. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौज0 द्वारा कथन किया गया है कि प्रकरण में विवेचना प्रचलित है तथा प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पादित किए जाने तथा साक्ष्य संकलन हेतु अभियुक्ता को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जानी आवश्यक है।

विधि–व्यवस्था **अदरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य(2005)4 एस0सी0सी0 303** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य, तैयारी, घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत पूछतांछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन आवश्यक हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाती है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विधि–व्यवस्था **पी0 चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0–1340/2019** के प्रस्तर–60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि, विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धारा–438 दं0प्र0संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल अपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधारण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 से सम्बन्धित सी0बी0आई0 बनाम अनु शर्मा (1997) 7 एस0सी0सी0 187 के मामले में सी0बी0आई0** की ओर से प्रस्तुत किये गये इस तर्क को सारवान माना है कि, अभियुक्त से उसके अभिरक्षा में रहने के दौरान की गयी पूछतांछ (Custodial Interrogation) उस अभियुक्त, जिसके पक्ष में धारा–438 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा चुका है, से की गयी पूछतांछ से गुणवत्ता में अधिक व्याख्यानात्मक होती है। उक्त मामले में निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, ऐसे मामले में विवेचना में सफलता मुश्किल होगी यदि संदिग्ध व्यक्ति विवेचना में पूछतांछ के दौरान यह जानता है कि, वह गिरफ्तारी पूर्व आदेश से सुरक्षित है। प्रायः ऐसी परिस्थिति में विवेचना एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय किसी तथ्य को उतना ही महत्व देना आवश्यक नहीं है, जितना नियमित जमानत (गिरफ्तारी के उपरान्त जमानत) पर दिया जाता है।

अभियोजन के अनुसार आवेदिका/ अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अब तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतका अनीता व सह अभियुक्त आलोक काविवाह वर्ष 2023 में हुआ था। अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री

अनीता से अतिरिक्त दहेज में तीन लाख रूपये की मॉग की जाती थी और इस मॉग के अग्रसारण में ही मृतका अनीता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। तत्पश्चात विवाह के सात वर्ष के अन्दर मृतका को फॉसी लगाकर उसकी दहेज हत्या कारित कर दी गयी।

मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि मृतका के गले के सामने वाले हिस्से पर लिगेचर मार्क होना दर्शित किया गया है। मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व हैगिंग के कारण स्वांसरोधन से होना दर्शित किया गया है।

आवेदिका/ अभियुक्ता प्राथमिकी में नामित है। आवेदिका/ अभियुक्ता की अपराध में प्रथम दृष्टया सक्रिय भूमिका दर्शित है। आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थिति में होना दर्शित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/ अभियुक्ता के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। ऐसी दशा में अभियोजन के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पादित किए जाने तथा साक्ष्य संकलन हेतु अभियुक्ता को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जानी आवश्यक है।

अभिकथित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित हो कि आवेदिका/ अभियुक्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने का उद्देश्य उसको गिरफ्तार कराकर अपमानित करना हो। आवेदिका/ अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदिका/ अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता कल्पना का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय सिंह–।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015
शिवम गौड़–पी.ए.